Phone: 23710519

Fax: (91-11) 23730937, 23730682

SPEED POST/ स्वीड पोस्ते | BY HAND/दस्ती

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

अनुसंघान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001 15-4/33/85-O&M (Vol.IV)

संख्या

No.

प्रेषक

From

मुख्य सतर्कता अधिकारी Chief Vigilance Officer

To Sr. COA/COAs/AOs of all the National Labs/Instts.

Sub: Submission of Annual Property Returns for the year 2012 by Group 'A' & 'B' officers under Rule 18(1) (ii) of the CCS (Conduct) Rules, 1964 - furnishing of certificate - reg.

Sir,

With reference to the aforementioned subject, it may be noted that this office has issued a number of circulars from time to time, which is being reiterated for information and necessary action.

- 2. In accordance with Rule 18(1) (ii) of the CCS (Conduct) Rules, 1964 as made applicable to the Council employees, officers holding Group 'A' & 'B' posts are required to submit an annual report giving full particulars regarding his/her immovable property.
- 3. It has been observed that annual property returns in respect of same the COAs/AOs, looking after the vigilance work and Director have not been received in this office.
- 4. It is requested to kindly intimate whether annual property returns have been received from the concerned employees for the year ending 31st December, 2012 and scrutinized by the Sr. COA /COA.AO, looking after the vigilance work of the Lab/Instt. A certificate that this exercise has been undertaken, along with copies of immovable property returns of the Sr. COA /COA or the AO, where COA is not in position and of the Director may be sent to this office for scrutiny by the first week of March, 2013.
- 5. However, if any prime-facie case of officers(s) in possession of disproportionate assets comes to notice during scrutiny, the returns(s) in question, alongwith the explanations obtained from the concerned officer(s), and your specific comments may kindly be sent to the undersigned for further action.

Yours faithfully,

DS(CO/HR-I)/DS(Complex)

IT Division, CSIR Hqrs, for placing this circular on CSIR website.



Phone: 23710519

Fax: (91-11) 23730937, 23730682

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

अनुसंघान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली—110001

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

SPEED POST / स्पीड पोस्ट BY HAND / दस्ती

संख्या No.

सं.15-4/33/85-ओ एण्ड एम (वाल्यूम-IV)

दिनांक 21जनवरी, 2013

प्रेषक

From

मुख्य सतर्कता अधिकारी Chief Vigilance Officer

To

सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन-नियंत्रक/प्रशासन-नियंत्रक/प्रशासनिक-अधिकारी

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(1) (ii) के तहत समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2011 हेतु वार्षिक संपत्ति विवरणियों का प्रस्तुतीकरण-प्रमाण पत्र भेजने विषयक

महोदय,

मुझे यह कहना है कि इस कार्यालय ने उपर्युक्त विषय के बारे में समय-समय पर अनेक परिपन्न जारी किए हैं, इसे एक बार पुन: आपकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु दोहराया जाता है।

परिषद के कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(1) (ii) के अनुसार समूह 'क' और 'ख' पदों पर कार्यरत अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे अपनी अचल संपत्ति के बारे में पूर्ण विवरण देते हुए वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

देखा-गया है कि सतर्कता-कार्य-को देखने वाले कुछ-प्रशासन-नियंत्रकों /प्रशासनिक-अधिकारियों तथा निदेशक की वार्षिक संपत्ति विवरणियां इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई हैं।

अनुरोध है कि कृपया यह सूचित करें कि क्या संबंधित कर्मचारियों की 31 दिसम्बर, 2012 को समाप्त वर्ष की वार्षिक संपत्ति विवरणियां प्राप्त हो चुकी हैं और क्या प्रयोगशाला/संस्थान के वरिष्ठ प्रशासन-नियंत्रक/प्रशासन-नियंत्रक/प्रशासन-नियंत्रक/प्रशासनिक-अधिकारी, जो सतर्कता कार्य को देख रहे हैं, द्वारा इनकी जांच कर ली गई है। ऐसी कार्रवाई कर लिए जाने के प्रमाण पत्र के साथ-साथ वरिष्ठ प्रशासन-नियंत्रक/प्रशासन-नियंत्रक अथवा जहां प्रशासन-नियंत्रक नहीं हैं वहां प्रशासनिक-अधिकारी तथा निदेशक की अचल परिसंपत्ति की विवरणियों की प्रतियां जांच के लिए इस कार्यालय को मार्च 2013 के प्रथम सप्ताह तक भिजवाएं।

तथापि, यदि जांच के दौरान किसी अधिकारी(अधिकारियों) की आय से अधिक परिसंपत्तियों का मामला प्रथम दृष्टया नोटिस में आता है, तो विवरणी(विवरणियों) के बारे में संबंधित अधिकारी (अधिकारियों) से प्राप्त स्पष्टीकरण और आपकी विशिष्ट टिप्पणियां आगे की कार्रवाई के लिए अधोहस्ताक्षरी को भिजवाई जाएं।

भवदीया, ्रेट्रें । रें १६ (सुषमा सिंह) मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रतिलिपि:

- 1. उप सचिव (के.का./मानव संसाधन-I)/उप सचिव (कॉम्प्लेक्स)
- 2. सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, सीएसआईआर मुख्यालय, इस प्रपत्र को सीएसआईआर की वेबसाइट पर डालने हेतु